



संदर्भ : आईआरडीएआई/पीपी&जीआर/सीआईआर/विविध/43/3/2026  
Ref.: IRDAI/PP&GR/CIR/MISC/43/3/2026

25 मार्च, 2026  
25 March, 2026

परिपत्र  
CIRCULAR

प्रति / To,  
सभी बीमाकर्ता / All Insurers

**विषय : पॉलिसीधारकों को सेवाएं प्रदान करने हेतु- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विशेष उपाय**

**Sub: Servicing to the policyholders – Special Measure for the current Financial Year 2025-26**

1. पालिसीधारकों के लिए किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए बीमाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे अपनी कार्यालय 31 मार्च 2026 को सामान्य कार्य-समय के अनुसार खुली रखें।
2. बीमाकर्ता उपर्युक्त को ध्यान में रखें तथा उपर्युक्तानुसार की गई विशेष व्यवस्था का पर्याप्त प्रचार करें।
3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

1. In order to avoid any hardship to the policyholders, the insurers are hereby advised to keep their offices open as per normal working hours on March 31, 2026.
2. The insurers may take note of the above and give adequate publicity to the special arrangement made as above.
3. This is issued with the approval of the Competent Authority.

हस्ताक्षरित / sd/-  
(आर के शर्मा / R K Sharma)  
(मुख्य महाप्रबंधक / Chief General Manager)